

30/01/12

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या:-502/सी0ई0ओ0-1-
सेवा में,

लखनऊ दिनांक 24 जनवरी, 2012

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012-मतदान कार्मिकों से संबंधित द्वितीय
रैण्डमाइजेशन की अवधि 07 दिन के बजाय 09 दिन किये जाने के संबंध
में।


महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 1168/सी0ई0ओ0-1
दिनांक 04.04.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत
निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 464/UP-HP/2009 दिनांक 04.04.2009 की प्रति
संलग्न कर प्रेषित की गयी थी।

2- उक्त पत्र के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि भारत निर्वाचन आयोग ने
मतदान कार्मिकों से संबंधित द्वितीय रैण्डमाइजेशन की अवधि 07 दिन के बजाय 09
दिन किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा तत्समय दिये गये निर्देश विधान सभा सामान्य
निर्वाचन-2012 में भी लागू होंगे। कृपया आयोग के निर्देश को समस्त संबंधित के
संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस संबंध
में आयोग द्वारा नये निर्देश प्राप्त होने पर यथासमय आपको सूचित किया जायेगा।
संलग्नक:-यथोक्त।


भवदीय,


(अतीक अहमद सिद्दीकी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:-502(1)/सी0ई0ओ0-1-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अधिकारी/अनुभाग/सेल, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
- 4- श्री राशिद हुसैन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
- 5- प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।


(अतीक अहमद सिद्दीकी)
विशेष कार्याधिकारी।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या:-1168/सी0ई0ओ0-1-

लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2009

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय-लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2009 द्वितीय रैण्डमाइजेशन की अवधि
07 दिन के बजाय 09 दिन किये जाने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र संख्या 464/UP-HP/2009 दिनांक 04.04.2009 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने द्वितीय रैण्डमाइजेशन की अवधि 07 दिन के बजाय 09 दिन किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,


(अतीक अहमद सिद्दीकी)
विशेष कार्याधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001.

No. 464/UP-HP/2009

Dated: 4TH April, 2009

To

The Chief Electoral Officer,
Uttar Pradesh,
Lucknow

Subject.- General Election to Lok Sabha 2009 - Randomization of Polling
Personnel - regarding

Sir,

I am directed to refer to your letter No.1008/CEO-1, dated 27.03.09 on the subject cited and to state that the Commission has acceded to your request for second randomization exercise 9 days before the day of poll.

Yours faithfully,


(HARBANS SINGH)
UNDER SECRETARY